राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2017/1501 दिनांक 3/7/17

प्रेषित :–

तहसीलदार सेड़वा

विषय :– राजस्व वाद सं. 330/2015 अनवान वालाराम वगैरा बनाम हीराराम वगैरा में पारित निर्णय की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 30.06.2017 को पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार निर्णय की पालना कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंग्न :– निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास *श्री भागीरथराम आर.ए.एस.*

1.वालाराम 2.भगाराम 3.धनाराम पि. भारथाराम 4.जवाराराम 5.चैनाराम 6.पूराराम पि.कानाराम 7.मीरादेवी पत्नि कानाराम, जाति कुम्हार निवासी आकल, तहसील सेड़वा निवासी शोभाला जेतमाल	**बनाम**	1.हीराराम 2.नेनाराम 3.उम्मेदाराम पि.गुमनाराम जाति कुम्हार निवासी आकल 4.तहसीलदार सेड़वा।

वाद बाबत **183,188, RT Act.**

मुकदमा नं. 330/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री जगदीश पोटलिया** एड. मिनजानिब मुदाई व श्री .... एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि **वादीगण का वाद स्वीकार कर मौजा आकल, तहसील सेड़वा के खसरा सं. 151 रकबा 137.04 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि पर तहसीलदार सेड़वा की मौका रिपोर्ट मय फर्द व सलंग्न नक्शा अनुसार वादीगण के खसरा सं. 151 पर रकबा 09.09 बीघा सलंग्न नक्शा बरंग हरा में दिखाये गये अवैध कब्जा को हटाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वादीगण के खसरा सं. 151 पर प्रतिवादीगण के अवैध कब्जे को हटाकर कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जावे। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करावे।** .... बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20/1/17 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

दस्तखत सहायक कलक्टर

ओहदा (SDO) चौहटन

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 330/2015

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 183,188, रा.का.अ.

अनवान वादीगण – 1.वालाराम 2.भगाराम 3.धनाराम पि. भारथाराम 4.जवाराराम 5.चैनाराम 6.पूराराम पि.कानाराम 7.मीरादेवी पत्नि कानाराम, जाति कुम्हार निवासी आकल, तहसील सेड़वा

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.हीराराम 2.नेनाराम 3.उम्मेदाराम पि.गुमनाराम जाति कुम्हार निवासी आकल 4.तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री जगदीश पोटलिया**
प्रतिवादी वकील –

निर्णय

दिनांक :– 30.06.2017

वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण का खेत खसरा सं. 144 रकबा 01.10 बीघा, खसरा सं. 150 रकबा 00.07 बीघा, खसरा सं. 151 रकबा 137.04 बीघा, कुल रकबा 139.01 बीघा का आया हुआ है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खेतों के मध्य पुरान कदामी माठे स्थापित है। प्रतिवादीगण आदतन झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति है। समय समय पर वादीगण के खेत के सेढे पर कायम कदामी तोड़कर व पेड़ काट कर वादीगण के खेतों पर अतिक्रमण करते आ रहे है। वादीगण ने राजस्व आवेदन सं. 147/12 अनवान वालाराम वगैरा बनाम गुमनाराम वगैरा अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.रा.अ. के हाजा न्यायालय से नेखमबन्दी आदेश करवाया जिसकी पालना में दिनांक 17.02.2012 को रिपोर्ट पेश की गई जिसमें वादीगण की भूमि पर प्रतिवादीगण का अवैध अतिक्रमण पाया गया। अतः वादीगण ने वाद पेश कर प्रतिवादीगण को वादीगण के खेत खसरा सं. 151 मौजा आकल तहसील सेड़वा से बेदखल कर कब्जा वापिस वादीगण को दिलाया जावे इस हेतु वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल सुदा प्राप्त जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण वकील द्वारा उक्त खसरों के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जिसे स्वीकार कर वादग्रस्त खसरों के संबंध में तहसीलदार को मौका रिपोर्ट भेजने के लिए लिखा गया ।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कोर्ट कैम्प केकड़ में दिनांक 30.06.17 को पेश हुई। वादीगण सं. 1 से 5 उपस्थित । तहसीलदार सेड़वा से वादग्रस्त के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन अवलोकन किया गया। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट मय फर्द मौका का अध्ययन अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त वादीगण के खातेदारी के खेत खसरा सं. 151 रकबा 137.07 बीघा में रकबा 09.09 बीघा सलंग्न नक्शा बरंग हरा में दर्शायी भूमि पर प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा एवं काश्त है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं मौजा **आकल, तहसील सेड़वा** के खसरा सं. 151 **रकबा 137.04 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि पर तहसीलदार** सेड़वा **की मौका रिपोर्ट मय फर्द व सलंग्न नक्शा अनुसार वादीगण के खसरा सं. 151 पर रकबा** 09.09 बीघा सलंग्न नक्शा बरंग हरा **में दिखाये गये प्रतिवादीगण के अवैध कब्जा को हटाने का आदेश** दिया जाता है। **तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वादीगण के खसरा सं. 151** पर प्रतिवादीगण के अवैध **कब्जे को हटाकर कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जावे। तहसीलदार सेड़वा** को आदेश दिया जाता है कि **निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करावे।** पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.17 को राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2017 को न्यायालय कैम्प केकड़ मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

आंशिक नक्शा ट्रेस
मौजा - आकल
पैमाना 1 इंच 40 गज

सत्य प्रतिलिपि

EX CDUNT

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

तहसीलदार(भू.अ.)सेड़वा

मौका फर्द

आज दिनांक 28/6/2017 को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी-चौहटन के राजस्व वाद सं० 330/2015 अन्तर्गत धारा 183, 188 आर०टी० एक्ट अनवान बालाराम वगैरह बनाम हीराराम वगैरह मे ग्राम आकल के ख०नं० 151 रकबा 137-07 बीघा की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु हल्का पटवारी कारटिया के साथ मौके पर पहुंचा। मौके पर वादी बालाराम वगैरह उपस्थित। प्रतिवादी हीराराम पु० गुमनाराम, शेराराम पु० उमेदाराम मौके पर उपस्थित। मौके पर कब्जा वादी एवं प्रतिवादी तथा सेड़ापड़ौसियो के रूबरू मौका जांच की गई। ख०नं० 151 रकबा 137-07 बीघा वादी बालाराम वगैरह की संयुक्त खातेदारी है। जिस पर प्रतिवादी उमेदाराम पु० गुमनाराम की रहवासी ढाणी पूर्ण एवं अशोककुमार पु० जगराम की आंशिक ढाणी सहित वादी के खातेदारी ख०नं० 151 मे रकबा 9-09 बीघा संलग्न नक्शा बरंग हरा मे दर्शायी भूमि पर प्रतिवादी उमेदराम, हीराराम एवं अशोककुमार का कब्जा एवं काश्त है। रहवासी ढाणी है। जो बालाराम वगैरह की खातेदारी मे है। उक्त बरंग हरा वाली भूमि विवादित है। जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जा एवं काश्त है। फर्द मौका मौके पर तैयार की जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये। प्रतिवादीगण ने हस्ताक्षर करने से मना किया।

EX-COURT

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(हस्ताक्षर) 28/6/17
ILR सोनड़ी

(हस्ताक्षर)
पटवारी कारटिया

निशान मगाराम

बालाराम

निशान बनाराम

C.C.

जानाराम

पुरखाराम

तहसीलदार(भू.अ.) सेड़वा